जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

स्थाई विद्युत सम्बन्ध विच्छेद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अवसर

'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' शिविरों में बकाया राशि जमा करा कर

पुनः बिजली कनेक्शन की सुविधा का लाभ उठावें

बकाया राशि पर विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की मिलेगी छूट

जयपुर, 21 अगस्त। विद्युत वितरण निगमों ने घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि जमा नही कराने के कारण स्थाई रुप से विच्छेदित हो गए है, उनको 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में पुनः बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रियायती योजना लागू की है। इस योजना का लाभ केवल 30 अगस्त से 11 अक्टूबर, 2015 तक 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' अभियान की अवधि के दौरान ही देय होगा।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि 50 हजार रुपए तक की बकाया मूल राशि के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता यदि पुनः कनेक्शन लेना चाहते हैं और उनके द्वारा 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' अभियान के तहत 11 अक्टूबर, 2015 को लगने वाले अन्तिम शिविर तक बकाया राशि जमा करवा दी जाती है, तो बकाया राशि पर देय ब्याज एवं विलम्ब शुल्क की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जाएगी। योजना के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की छूट देने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को अधिकृत कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि स्थाई रुप से कटे कनेक्शन के उपभोक्ता द्वारा 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत लगने वाले अन्तिम शिविर की तिथि 11 अक्टूबर, 2015 तक बकाया राशि सम्बधित सहायक अभियन्ता कार्यालय अथवा शिविर में जमा नही कराई जाती है, तो उसे इस रियायती योजना का लाभ देय नही होगा।

श्री सावंत ने बताया कि इस योजना के तहत बकाया राशि जमा कराने के लिए उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर सहायक अभियन्ता कार्यालय अथवा शिविर में देना होगा।

―――――

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 266/2015